(राजस्थान–सरकार)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी भंवर लाल जनागल (आर.ए.एस.)

प्रथम अपील संख्या :– 22/2025

पंजीकरण संख्या :– 2025/91

बउनवान

मोहम्मद रिजवान पुत्र अब्दुल हकीम निवासी वार्ड नं. 18, मांगरोल जिला बारॉ(राज.)–325215 मो.नं. 9929584002

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल जिला बारां

(प्रत्यर्थी)

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1)

निर्णय दिनांक 12.12.2025

प्रस्तुत प्रथम अपील इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 25.09.2025 को लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल को अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत ऑफलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर 02 बिंदुओं की सूचना चाही गई थी जो निम्नलिखित है :–

1. एस.बी.सिविल रिट पीटिशन संख्या 318/2024 हरिओम अग्रवाल वगैराह बनाम वक्फ कमेटी, मांगरोल वगैराह में तथ्यात्मक रिपोर्ट दी है जिसकी प्रति उपलब्ध करवाई जावें।
2. कौनसे आदेशों के तहत नगरपालिका की भूमि खसरा नं. 1412 रकबा 0.03 का खाता बदला गया जबकि इसी न्यायालय में अभी केस चल रहा है जिसकी प्रति उपलब्ध करवाई जावें।

अपीलार्थी को उक्त 02 बिंदुओं की सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर उसके द्वारा प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत विरूद्व (प्रत्यर्थी) लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के विरूद्व पेश कर निवेदन किया कि प्रथम आवेदन–पत्र में चाही गई सूचना उपलब्ध करावें।

इस पर प्रस्तुत प्रथम अपील को दिनांक 19.11.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल को जरिये सम्मन क्रमांक 881–882 दिनांक 25.11.2025 से तलब कर, प्रस्तुत अपील मेमो की छायाप्रति भिजवाई जाकर जवाब तलब किया गया तथा अपीलार्थी को भी जरिये रजिस्टर्ड सम्मन क्रमांक 881–882 दिनांक 25.11.2025 से तलब किया गया।

अपीलार्थी बावजूद सूचना के इस न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल द्वारा उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक/रीडर/आरटीआई/2025/336 दिनांक 05.12.2025 से जवाब इस न्यायालय में भिजवाया गया जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी को भी दी गई। उक्त जवाब में अपीलार्थी को 02 बिंदुओं की बिंदुवार सूचना भिजवाई गई जो निम्नानुसार है :–

1. अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना माननीय उच्च न्यायालय जयपुर से संबंधित होने के कारण न्यायालय से लिया जाना अपेक्षित है। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन प्रकरण एस.बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या 318/2024 हरिओम अग्रवाल वगैराह बनाम वक्फ कमेटी मांगरोल वगैराह में प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट संलग्न है।

2. अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना में आंशिक सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं है तथा शेष सूचना न्यायालय में जैरकार प्रकरण से संबंधित है जिसके संबंध में प्रकरण संख्या बउनवान, पेशी दिनांक आदि सूचना उपलब्ध करवाकर चाही गई सूचना नियमानुसार प्राप्त कर सकते है।

अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील एवं लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया, जिससे पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई 02 बिंदुओं की सूचना के संबंध में अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल द्वारा बिंदुवार जवाब दे दिया गया है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत खारिज की जाती है। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि अपीलार्थी को एवं लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल को रजिस्टर्ड डाक से सूचनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक **12.12.2025** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(भंवर लाल जनागल)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ